वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी

पत्रांक : 264/वि0प्रा0/नि0/2021–22 दिनांक– 26-07-2021

रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के निर्माण हेतु विभिन्न फर्मो/एजेन्सियों को प्राधिकरण में इम्पैनल्ड की सूचना

वाराणसी विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 300 अथवा 300 वर्ग मी0 से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित आवासीय/व्यावसायिक/शैक्षणिक/औद्योगिक/ग्रुप हाउसिंग आदि तथा समस्त सरकारी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के निर्माण हेतु अनुभवी निर्माण एजेन्सियों को वाराणसी विकास प्राधिकरण में इम्पैनल्ड किया जाना है। कार्य से सम्बन्धित विस्तृत विवरण प्राधिकरण की वेबसाईट www.vdavns.com पर देखा जा सकता है।

क.सं.	कार्य का नाम	इम्पैनल्ड शुल्क (रू. में)	प्रस्ताव आमंत्रण की तिथि	आफर/प्रस्ताव जमा करने की अन्तिम तिथि	आफर/प्रस्ताव खोलने की तिथि
1	2	6	7	8	9
1	रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण कार्य।	5000.00	27.07.2021	10.08.2021 अपरान्ह 1:00 बजे	10.08.2021 अपरान्ह 3:00 बजे

नियम व शर्तें :–

1. कार्य हेतु इच्छुक एजेन्सी को सील बन्द लिफाफे में अपना प्रस्ताव उक्त नियत तिथि के अन्दर अधिशासी अभियन्ता कक्ष संख्या–26 में जमा करना होगा।
2. कार्य से सम्बन्धित अन्य जानकारियॉ अधिशासी अभियन्ता कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।
3. कार्य हेतु इच्छुक एजेन्सी को विगत तीन वर्षो का न्यूनतम वार्षि क टर्नओवर रू0 5.00 लाख होना आवश्यक है जिस हेतु प्रपत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. इच्छुक एजेन्सी को रेनवाटर हार्वेस्टिंग के कार्यो का अनुभव अथवा सिविल कार्यो के साथ–साथ बोरिंग/जलापूर्ति आदि कार्यो के सफल सम्पादन का अनुभव होना आवश्यक है।
5. एजेन्सी को वाराणसी में एवं आस–पास के क्षेत्रों में कार्य करने का अनुभव हो।
6. उक्त कार्य की इम्पैनल्ड शुल्क इलेक्ट्रानिक माध्यम से (आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0) पंजाब नैशनल बैंक पन्नालाल पार्क स्थित प्राधिकरण के खाता संख्याः 4762000100002211 (IFS Code No- PUNB0476200) में **अथवा** डीडी, सचिव, विकास प्राधिकरण के फेवर में जमा करनी होगी। उक्त शुल्क जमा न करने की दशा में प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।
7. इम्पैनल्ड एजेंसी को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण में निहित है, जिसके विरूद्ध एजेन्सी का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
8. संदर्भित कार्य का आवण्टन आवश्यकतानुसार समय–समय पर इम्पैनल्ड फर्मो/एजेन्सियों के मध्य नियमानुसार प्रकिया के तहत किया जायेगा।
9. फर्म/एजेन्सी को आयकर विभाग, श्रम विभाग एवं जी0एस0टी0 में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। शासन द्वारा समय–समय पर लागू आयकर, लेबर सेस एवं अन्य करों की कटौती फर्म/एजेन्सी के देयक से नियमानुसार की जायेगी।

10. स्टेट बार कौसिल में पंजीकृत व्यक्ति एवं आपराधिक रिकार्ड वाले फर्मो/एजेन्सियों को उक्त आफर प्रकिया में भाग लेने की अनुमति नहीं हैं। साथ ही यदि फर्म/एजेन्सी का सगा सम्बन्धी (First blood relation & their dependant) वाराणसी विकास प्रधिकरण में कार्यरत है तो उसे भी आफर की प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं है।

11. फर्म/एजेन्सी द्वारा दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

12. आफर खोलने की तिथि को अवकाश की स्थिति में निविदा अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी।

13. सशर्त प्रस्ताव मान्य नहीं होगी।

14. फर्म/एजेन्सी द्वारा इम्पैनल्ड शुल्क का विवरण आफर के लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा।

15. सम्बन्धित फर्म/एजेन्सी को कार्य स्थल पर SOP(Standard Operating Procedure) की गाइड लाइड के समस्त बिन्दुओं का पालन करना अनिवार्य होगा।

प्र0अधि0 (निर्माण)

पत्रांक : /वि0प्रा0/नि0/2021–22 दिनांक–

प्रतिलिपि : **निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–**

1. उपाध्यक्ष महोदय को अवलोकनार्थ।
2. सचिव, विकास प्राधिकरण, वाराणसी।
3. कम्प्यूटर प्रोग्रामर को इस निर्देश के साथ कि प्रस्ताव प्राधिकरण की वेबसाइट पर आन लाइन प्रकाशन/अपलोड के उपरान्त आन लाइन प्रकाशन की प्रति उपलब्ध करायें।
4. संबंधित संचिका/नोटिस बोर्ड।

प्र0अधि0 (निर्माण)